

(2)

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त सव्यवहार और अवमारों को छोड़कर उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य सव्यवहार और अवमार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और

किया।

हस्ताक्षर

(पदनाम) सहायक

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की -

(हस्ताक्षर)

(पदनाम) सहायक

(कार्यालय) जिला निबन्धक, पलामू



मुहर
निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

तारीख

टिप्पणी - इस प्रमाण पत्र में जो सव्यवहार और अवमार दिखाए गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत सम्पत्ति अनुसार पाये गए हैं। यदि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसा दस्तावेजों से प्रमाणित सव्यवहार (ट्रांजेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किए जायेंगे।

2) निबन्धन अधिनियम की धारा 57 के अधिन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों की प्रविष्टियां देखना चाहते हो, अथवा जो उनकी प्रतिलिपी लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विविदिष्ट सम्पत्तियों के अवमारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो, उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। दिहीत फीस का भुगतान करने बहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की। फिर भी विभाग प्रमाण पत्र में दिए गए तलाशी परिणाम की किसी मूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगी।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा दूढ़े गए सव्यवहारों और अवमारों सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न दूढ़े गए ऐसे सव्यवहारों और अवमारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेवार न होगा जिसे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता है।

सम्पत्ति अवधार प्रमाण-पत्र

आवेदन संख्या

20

प्रमाण पत्र सं०

20

चूंकि श्री

मेरे पास आवेदन किया है

कि निम्नलिखित सम्पत्ति के संबंध में निबंधित सव्यवहारों और अवधारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय,

(आवेदन में दिए गए तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले सव्यवहारों और अवधारों के बारे में बही 1 में और उससे संबद्ध अनुक्रमणिका में ता०..... से

ता०..... से

तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न सव्यवहारों और अवधारों का पता चला है :-

क्रम सं०	(क) सम्पत्ति का विवरण	निष्पादक की ता०	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मुख्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज का प्रविष्टि के प्रति निवेश		
				निष्पादक	दावेदार	दस्तावेज सं० एवं जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	74	0-02	1	11	0-08	6	34	0-13
	75	0-05		14	0-01		109	0-20
	78	0-01		30	0-10	1	144	0-12
	80	0-05		22	0-17		152	0-26
	82	2-01		23	0-25	9	135	0-34
	87	1-20		121	0-03		136	0-02
	99	0-12		28	0-69		137	0-01
	112	0-03		214	0-36		139	0-24
	113	0-03		117	0-22		153	0-21
	115	0-11		120	0-18		139	0-18
	115	0-05		165	0-12		135	0-03
	138	0-04		166	0-59	10	1	0-07
	141	0-03		169	0-05		1	0-15
	145	0-13		180	0-04		1	0-09
	162	0-08		181/183	0-06		1	0-04
	163	0-08		181/180	0-03		1	0-03
	167	0-03		181/185	0-09		1	0-14
	172	0-24		180/217	0-23		1	0-04
	173	2-14		180/217	0-15		1	0-12
	178	2-54		180/222	0-05		1	0-15
	183	2-50		180/223	0-05		1	0-14
	180/206	0-20		180/203	0-07		1	0-12
	180/207	0-18		20	0-10		1	0-11
	180/21	0-28		22	0-16		1	0-05
	180/216	0-10		35	0-05		1	0-44
	180/221	1-75		18	0-02		1	0-26
	15	0-07		37	0-07		1	0-30
				119	0-03		1	0-09
				116	0-35		1	0-01
				129	0-47		1	0-29
				152	0-08		1	0-10
				3	0-16		1	0-19
				155	0-05		1	0-57

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. सबक प० की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें बशर्त कि इसके बारे में उल्लेख हो।

2. पट्टे की अवधि और वार्षिक लगन दर्ज करें।

Control Page 2

(2)

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त सव्यवहार और अवमारों को छोड़कर उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य सव्यवहार और अवमार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और

किया।

हस्ताक्षर

(पदनाम) सहायक

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की -

(हस्ताक्षर)

(पदनाम) सहायक

(कार्यालय) जिला निबन्धक, पलामू



निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

3.7.15

तारीख

इस प्रमाण पत्र में जो सव्यवहार और अवमार दिखाए गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत सम्पत्ति अनुसार पाये गए हैं। यदि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण से भिन्ने विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों की निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसा दस्तावेजों से प्रमाणित सव्यवहार (ट्रांजेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किए जायेंगे।

(2)

निबन्धन अधिनियम की धारा 57 के अधिन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो, अथवा जो उनकी प्रतिलिपी लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विविदिष्ट सम्पत्तियों के अवमारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हों, उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। दिहीत फीस का भुगतान करने बहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायेगी।

(क)

किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की। फिर भी विभाग प्रमाण पत्र में दिए गए तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगी।

(ख)

और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा दूढ़ गए सव्यवहारों और अवमारों सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न दूढ़ गए ऐसे सव्यवहारों और अवमारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेवार न होगा जिसे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता है।

सम्पत्ति अवधार प्रमाण-पत्र

आवेदन संख्या

20

प्रमाण पत्र सं०

१६/०२/२०१३

चुँकि श्री.....

मेरे पास आवेदन किया है

कि निम्नलिखित सम्पत्ति के संबंध में निबंधित सख्यवहारों और अवधारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय,

(आवेदन में दिए गए तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले सख्यवहारों और अवधारों के बारे में बही 1 में और उससे संबद्ध अनुक्रमणिका में ता०..... से

ता०..... से

तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न सख्यवहारों और अवधारों का पता चला है :-

क्रम सं०	(क) सम्पत्ति का विवरण	निष्पादक की ता०	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम दस्तावेज का प्रविष्टि के प्रति निवेश				
				निष्पादक	दावेदार	दस्तावेज सं० एवं जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	170	0-11	170	0-28	180	180	2-11 1/2	
14	85	0-03	173	0-13	51	51	2-01 1/4	
15	184	0-28	178	1-51	136	136	0-01 1/4	
	171	0-13	185	0-13	158	158	0-01 1/4	
	185	0-03	185	0-18	153	153	0-10 3/4	
	201/187	0-05	189/207	0-27	139	139	0-23	
	94/223	2-01	189/212	0-09	139	139	0-04 1/2	
	120/220	2-20	189/218	1-75	55	55	0-02	
	65	0-01	180/221	0-07	10	10	0-01 1/2	
	124	0-08	125	3-31	140	140	2-06	
	125	0-03	125		56	56	0-01 1/4	
	142	0-04			10	10	0-06 1/4	
	68	0-15			83	83	0-22 1/4	
	71	0-02			84	84	0-10 1/2	
	74	0-04			170	170	0-05 1/2	
	75	0-01			84	84	0-24	
	78	0-05			185	185	0-08 1/4	
	80	0-01			85	85	0-02 1/4	
	82	1-27			40	40	0-02 1/2	
	87	0-13			197	197	0-15	
	93	0-02					0-10	
	112	0-04					0-03	
	113	0-04					0-03 1/2	
	115	0-01					0-04	
	38	0-05					0-10 1/2	
	141	0-02					0-04 1/2	
	145	0-14					0-11	
	162	0-07					0-05 1/2	
	163	0-07					0-07 1/2	
	167	0-08						

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. सबक प० की दशा में व्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें बशर्त कि इसके बारे में उल्लेख हो।

2. पृष्ठ की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

16/02/2013

(2)

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त सव्यवहार और अवमारों को छोड़कर उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य सव्यवहार और अवमार का पता नहीं चल रहा है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और

किया।

हस्ताक्षर

(पदनाम) सहायक

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की -

(हस्ताक्षर)

(पदनाम) सहायक

(कार्यालय) जिला निबंधक, पल्लभमू



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
3.7.15

तारीख

टिप्पणी - इस प्रमाण पत्र में जो सव्यवहार और अवमार दिखाए गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत सम्पत्ति अनुसार पाये-गए हैं। यदि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण से निम्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को नियन्त्रित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसा दस्तावेजों से प्रमाणित सव्यवहार (ट्रांजेक्शन-स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किए जायेंगे।

(2) निबन्धन अधिनियम की धारा 57 के अधिन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों की प्रविष्टियां देखना चाहते हो, अथवा जो उनकी प्रतिलिपी लेना चाहते हो अथवा जिन्हें विविदिष्ट सम्पत्तियों के अवमारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो, उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। दिहीत फीस का भुगतान करने बहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायेगी।

(क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की। फिर भी विभाग प्रमाण पत्र में दिए गए तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगी।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा दूढ़े गए सव्यवहारों और अवमारों सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न दूढ़े गए ऐसे सव्यवहारों और अवमारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेवार न होगा जिसे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता है।

सम्पत्ति अधिभार प्रमाण-पत्र

आवेदन संख्या

20

प्रमाण पत्र सं०

20

चुकि श्री

मेरे पास आवेदन किया है

कि निम्नलिखित सम्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सत्यवहारों और अधिभारों का सविस्तर प्रमाण-पत्र दिया जाय,

(आवेदन में दिए गए तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले सत्यवहारों और अधिभारों के बारे में वही 1 में और उससे संबंध अनुक्रमणिका में ता०

ता०

से

तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न सत्यवहारों और अधिभारों का पता चला है :-

क्रम सं०	(क) सम्पत्ति का विवरण	निष्पादक की ता०	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम दस्तावेज का प्रविष्टि के प्रति विवरण				
				निष्पादक	दावेदार	दस्तावेज सं० एवं जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	0-01	172	172	0-275	113	0-01	113	0-01
34	0-285	173	173	0-17	162	0-01	162	0-01
38	0-10	184/26	184/26	0-19	163	0-03	163	0-03
100	0-20	189/22	189/22	0-84	178	1-02	178	1-02
164	0-10	92	92	0-36	180	0-04	180	0-04
168	0-54	114	114	0-17	182	0-30	182	0-30
171	0-13	120	120	0-09	183	0-75	183	0-75
124	0-04	165	165	0-27	184	0-52	184	0-52
68	0-01	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
113	0-01	189	189	0-02	185	0-01	185	0-01
162	0-03	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
163	0-03	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
172	1-53	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
182	0-04	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
180/213	0-30	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
183	0-75	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
38	0-05	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
71	0-15	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
74	0-02	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
75	0-04	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
76	0-01	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
80	0-05	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
82	0-01	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
87	1-27	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
112	0-02	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
115	0-90	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
141	0-01	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
145	0-03	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
162	0-03	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
168	0-03	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
172	0-03	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
182	0-03	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
180/213	0-30	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
183	0-75	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
38	0-05	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
71	0-15	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
74	0-02	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
75	0-04	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
76	0-01	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
80	0-05	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
82	0-01	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
87	1-27	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
112	0-02	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
115	0-90	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
141	0-01	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
145	0-03	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
162	0-03	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
168	0-03	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
172	0-03	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
182	0-03	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
180/213	0-30	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
183	0-75	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
38	0-05	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
71	0-15	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
74	0-02	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
75	0-04	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
76	0-01	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
80	0-05	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
82	0-01	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
87	1-27	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
112	0-02	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
115	0-90	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
141	0-01	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
145	0-03	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
162	0-03	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
168	0-03	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
172	0-03	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
182	0-03	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
180/213	0-30	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
183	0-75	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
38	0-05	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
71	0-15	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
74	0-02	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
75	0-04	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
76	0-01	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
80	0-05	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
82	0-01	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
87	1-27	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
112	0-02	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
115	0-90	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
141	0-01	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
145	0-03	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
162	0-03	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
168	0-03	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
172	0-03	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
182	0-03	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
180/213	0-30	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
183	0-75	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
38	0-05	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
71	0-15	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
74	0-02	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
75	0-04	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
76	0-01	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
80	0-05	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
82	0-01	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
87	1-27	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
112	0-02	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
115	0-90	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
141	0-01	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
145	0-03	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
162	0-03	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
168	0-03	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
172	0-03	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
182	0-03	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
180/213	0-30	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
183	0-75	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
38	0-05	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
71	0-15	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
74	0-02	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
75	0-04	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
76	0-01	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
80	0-05	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
82	0-01	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
87	1-27	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
112	0-02	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
115	0-90	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
141	0-01	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
145	0-03	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
162	0-03	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
168	0-03	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
172	0-03	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
182	0-03	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
180/213	0-30	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
183	0-75	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
38	0-05	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
71	0-15	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
74	0-02	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
75	0-04	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
76	0-01	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
80	0-05	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
82	0-01	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
87	1-27	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
112	0-02	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
115	0-90	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
141	0-01	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
145	0-03	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
162	0-03	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
168	0-03	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02
172	0-03	189	189	0-02	185	0-02	185	0-02

(2)

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त सव्यवहार और अवमारों को छोड़कर उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य सव्यवहार और अवमारों का प्रमाण नहीं मिलता है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और

किया।

हस्ताक्षर

(पदनाम) सहायक

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की -

(हस्ताक्षर)

(पदनाम) सहायक

(कार्यालय) जिला निबंधक, पलामू



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

3.7.15

तारीख

टिप्पणी

इस प्रमाण पत्र में जो सव्यवहार और अवमार दिखाए गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत सम्पत्ति अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसा दस्तावेजों से प्रमाणित सव्यवहार (ट्रांजेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किए जायेंगे।

(2)

निबन्धन अधिनियम की धारा 57 के अधिन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों की प्रविष्टियां देखना चाहते हैं, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हैं अथवा जिन्हें विविदिष्ट सम्पत्तियों के अवमारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो, उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। दिहीत फीस का भुगतान करने बहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायेगी।

(क)

किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की। फिर भी विभाग प्रमाण पत्र में दिए गए तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगी।

(ख)

और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा दूढ़ गए सव्यवहारों और अवमारों सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिखाया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न दूढ़ गए ऐसे सव्यवहारों और अवमारों को छूट के लिए किसी तरह जिम्मेवार न होगा जिसे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता है।

सम्पत्ति अधिभार प्रमाण-पत्र

आवेदन संख्या

20

प्रमाण पत्र सं०

20

चूंकि श्री

मेरे पास आवेदन किया है

कि निम्नलिखित सम्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित-सम्भवधारों और अधिभारों का सविस्तर प्रमाण-पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गए तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले सम्भवधारों और अधिभारों के बारे में बही 1 में और उससे संबंध अनुक्रमणिका में ता०.....से

ता०.....से

तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न सम्भवधारों और अधिभारों का पता चला है :-

क्रम सं०	(क) सम्पत्ति का विवरण	निष्पादक की ता०	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मुख्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज का प्रविष्टि के प्रति निवेश		
				निष्पादक	दावेदार	दस्तावेज सं० एवं जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11	0.07	119	0.06	15	180/21	0.10	
	14	0.01	116	0.03		180/21	0.14	
	39	0.10	127	0.32		180/21	0.09	
	42	0.17	127	0.47		180/21	1.75	
	49	0.25	3	0.08		180/21	2.19	
	121	0.09	154	0.07		180/21	2.61	
	88	0-70	155	0.16		180/21	0.10	
	114	0.35	134	0.05		180/21	2.22	
	121/133	0.09	149	0.12		180/21	0.10	
	180/21	0-23	144	0.19		180/21	2.54	
	180/22	0-19	158	0.17		180/21	2.11	
	180/23	0.05	135	0.22		180/21	0.04	
	180/23	0-07	136	0.04		180/21	0.08	
	180/23	0-22	138	0.02		180/21	0.13	
	117	0.18	139	0.01		180/21	0.16	
	120	0.14	139	0.03		180/21	0.05	
	165	0.07	159/135	0.01		180/21	0.01	
	166	0.05	1	0.04		180/21	0.08	
	169	0.04	4	0.02		180/21	0.01	
	180	0.04	7	0.15		180/21	0.08	
	89	0.39	8	0.10		180/21	0.00	
	90	0.09	10	0.03		180/21	0.02	
	91	0.01	16	0.04		180/21	0.03	
	35	0.01	17	0.10		180/21	0.15	
	34	0.28	40	0.17		180/21	0.02	
	20	0.10	58	0.14		180/21	0.04	
	32	0-72	13	0.13		180/21	0.01	
	35	0-15	73	0.11		180/21	0.05	
	18	0.04	81	0.25		180/21	0.00	
	37	0.02	83	0.24		180/21	1.29	
			84	0.21		180/21		

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. सबक 90 की दशा में व्याज की दर और भूतान की अवधि दर्ज करें बशर्ते कि इसके बारे में उल्लेख हो।

2. पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

Correct Page 5

(2)

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त सव्यवहार और अवमारों को छोड़कर उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य सव्यवहार और अवमार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और

किया।

हस्ताक्षर

(पदनाम) सहायक

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की -

(हस्ताक्षर)

(पदनाम) सहायक

(कार्यालय) जिला निबंधक, पलामू



निबंधक पदाधिकारी का हस्ताक्षर
3.7.15

तारीख

टिप्पणी - इस प्रमाण पत्र में जो सव्यवहार और अवमार दिखाए गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत सम्पत्ति अनुसार पाये गए हैं। यदि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण से किन्हीं विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसा दस्तावेजों से प्रमाणित सव्यवहार (ट्रांजेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किए जायेंगे।

(2) निबन्धन अधिनियम की धारा 57 के अधिन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों की प्रविष्टियां देखना चाहते हो, अथवा जो उनकी प्रतिलिपी लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विविधित सम्पत्तियों के अवमारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो, उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। दिहीत फीस का भुगतान करने बहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने मरसक सावधानी से की। फिर भी विभाग प्रमाण पत्र में दिए गए तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगी।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा दूढ़े गए सव्यवहारों और अवमारों सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न दूढ़े गए ऐसे सव्यवहारों और अवमारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेवार न होगा जिसे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता है।

सम्पत्ति अधिकार प्रमाण-पत्र

आवेदन संख्या 20

प्रमाण पत्र सं०

20

चूंकि श्री:

मेरे पास आवेदन किया है

कि निम्नलिखित सम्पत्ति के संबंध में विनिर्दिष्ट सत्यवहारां और अवकारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय,

(आवेदन में दिए गए तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले सव्यवहारों और अवमारों के बारे में बही 1 में और उससे संबद्ध अनुक्रमणिका में ता. 10..... से

ता०.....सं

तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न सम्बन्धों और अवधारणों का पता चला है :-

क्रम सं०	(क) सम्पत्ति का विवरण	निष्पादक की ता०	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज का प्रविष्टि के प्रति निवेश		
				निष्पादक	दावेदार	दस्तावेज सं० एवं जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र.सं.	मालिक	रकबा		अवकाशकारी के अंतर्गत होने पर भी कोई छूट नहीं मिलेगी				
	99	0.12 1/2		अवकाशकारी के अंतर्गत होने पर भी कोई छूट नहीं मिलेगी				
	112	0.02 1/2						
	113	0.03 1/2						
	115	0.10						
		0.05						
	38	0.02 1/2						
	141	0.67						
	145	0.67						
	162	0.02 1/2						
	163	0.07 1/2						
	167	0.28 1/2						
	172	0.27 1/2						
	173	0.14						
	178	2.04						
	183	1.50						
0	180/205	0.16						
	180/214	0.02						
		26.59		FOR MORTGAGE PURPOSE ONLY				

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें ।

(ख) 1. तबक पत्र की दशा में व्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें बराबर कि इसमें त्रुटि हो।

2. पढ़े की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें ।

Contd. Page 6

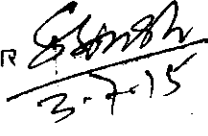
(2)

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सव्यवहार और अवमारों को कोर्ट उक्त सम्पति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य सव्यवहार और अवमार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और

किया।

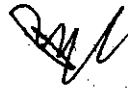
हस्ताक्षर


3.7.15

(पदनाम) सहायक

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की -

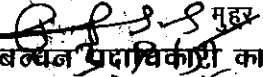
(हस्ताक्षर)



(पदनाम) सहायक

(कार्यालय) जिला निबन्धक, पलामू




निबन्धन प्रदायिका का हस्ताक्षर
3.7.15

तारीख

3.7.15

टिप्पणी - इस प्रमाण पत्र में जो सव्यवहार और अवमार दिखाए गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत सम्पति अनुसार पाये गए हैं। यदि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पतियों को निवन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसा दस्तावेजों से प्रमाणित सव्यवहार (ट्रांजेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किए जायेंगे।

(2) निबन्धन अधिनियम की धारा 57 के अधिन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों की प्रविष्टियां देखना चाहते हो, अथवा जो उनकी प्रतिलिपी लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विविदिष्ट सम्पतियों के अवमारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो, उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। दिहीत फीस का भुगतान करने बहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की। फिर भी विभाग प्रमाण पत्र में दिए गए तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगी।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा दूढ़े गए सव्यवहारों और अवमारों सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न दूढ़े गए ऐसे सव्यवहारों और अवमारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेवार न होगा जिसे उक्त सम्पति पर प्रभाव पड़ता है।